उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

संख्या-15/2018/168भा0स0/60-1-18-1/13(45)/15 टी0सी0

लखनऊः दिनांक 10 अगस्त, 2018

अध्यक्ष,
बाल कल्याण समिति,
आगरा, इलाहाबाद, बरेली, देवरिया, गोरखपुर,
गोण्डा, झॉसी, कानपुर देहात, कानपुरनगर,
लखीमपुरखीरी, लखनऊ, मथुरा, रामपुर,
रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर,
वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), भारत सरकार के पत्र संख्या-1-85/2014/SF-UP/CARA, दिनांक 09.7.2018 के संलग्न पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें एडाप्शन के लिए समयान्तर्गत लीगली फ्री नहीं किये गये बच्चों की सूची उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि बाल कल्याण समितियों द्वारा बच्चों को लीगली फ्री किये जाने की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करायी जाये।

2- आप अवगत है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम-2015 की धारा-38(1) तथा Adoption Regulation 2017 के पैरा 6(13) में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"The Child Welfare Committee, after taking actions as per the provisions of the Act, rules made thereunder and these regulations shall issue an order signed by any three members of the Child Welfare Committee declaring the abandoned or orphan child as legally free for adoption in the format at Schedule I within a period of two or four months, from the date of production of the child before the Child Welfare Committee, in case of a child upto two or above two years of age respectively."

3- उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चों को प्रस्तुत होने के 02 अथवा 04 माह (जैसी स्थिति हो) के अन्तर्गत लीगली फ्री किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जानी चाहिए। जिन बाल कल्याण समितियों द्वारा उपरोक्त समयावधि में लीगली फ्री करने की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रही है एवं अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है, उनके विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम-2015 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

4- कृपया भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची (छायाप्रति संलग्न) में अंकित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-15/2018/168भा0स0(1)/60-1-18, तददिनांक।

1- प्रतिलिपि, निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि जिन बाल कल्याण समितियों द्वारा निर्धारित समयावधि में लम्बित वादों का निस्तारण नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आख्या संकलित कर शासन को उपलब्ध करायें।

2- सम्बन्धित उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(राम केवल),
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।